



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-15092026-276202
CG-WB-E-15092026-276202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4807]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4807]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

(सड़क सुरक्षा परियोजना)

शुद्धिपत्र

कोलकाता, 3 सितंबर, 2026

का.आ. 4997(अ).— 20A गजट नोटिफिकेशन संख्या 387 दिनांक 29.01.2026 में संशोधन के रूप में, मौजा-कक्रोटिया के तहत 11 बचे हुए प्लॉट और मौजा-रंगामाटी के तहत 03 बचे हुए प्लॉट को जोड़ा जाना है।

केंद्रीय सरकार, रेल (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करत हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखण्ड राज्य के जिला साहेबगंज में विशेष रेल परियोजना “साहेबगंज स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास (किमी 231/9 - 232/0) मालदा मंडल में लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 82/B/T के स्थान पर आरओबी का निर्माण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी Kakrotiya+ Rangmatia तालुका Sahebganj Sadar & Madro और प्रांत अधिकारी जिला साहेबगंज, झारखण्ड के कार्यालय को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार निर्धारित किए जाएंगे, और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी को सुनने का अवसर दें और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को या तो अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के जिला साहेबगंज में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “साहेबगंज स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास (किमी 231/9 - 232/0) मालदा मंडल में लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 82/B/T के स्थान पर आरओबी का निर्माण” के लिए संरचना सहित या संरचना के बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या.	मौजा का नाम	खाता नं०	दाग नं	जमीन का प्रकार	भूमि का स्वभाव	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (एकड़)	प्लॉट का प्रभावित हिस्सा
1	कक्रोटिया	175	541	आवासीय	खास महल	0.003	0.0080	अंश
2	कक्रोटिया	—	690	आवासीय	खास महल	0.003	0.0080	अंश
3	कक्रोटिया	—	682	आवासीय	खास महल	0.008	0.0204	अंश
4	कक्रोटिया	—	529	आवासीय	खास महल	0.003	0.0090	अंश
5	कक्रोटिया	—	651	सड़क	खास महल	0.008	0.0213	अंश
6	कक्रोटिया	—	547	सड़क	खास महल	0.005	0.0137	अंश
7	कक्रोटिया	452	567	सड़क	खास महल	0.012	0.0307	अंश
8	कक्रोटिया	—	488	सड़क	खास महल	0.017	0.0431	अंश
9	कक्रोटिया	—	538	सड़क	खास महल	0.071	0.1765	अंश
10	कक्रोटिया	—	537	रेलवे	खास महल	0.014	0.0347	अंश

11	कक्रोटिया	—	536	रेलवे	ख़ास महल	0.025	0.0619	अंश
कुल =						0.169	0.427	
क्रम संख्या.	मौजा का नाम	खाता नं०	दाग नं	ज़मीन का प्रकार	भूमि का स्वभाव	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (एकड़)	प्लॉट का प्रभावित हिस्सा
1	रंगामाटी	—	अंश	सड़क	सड़क	0.013	0.033	अंश
2	रंगामाटी	—	अंश	सड़क	सड़क	0.008	0.021	अंश
3	रंगामाटी	—	अंश	सड़क	सड़क	0.013	0.034	अंश
कुल=						0.034	0.088	
कुल कब्जा करने का क्षेत्रफल एकर में=0.427+0.088=							0.515	
कुल कब्जा करने का क्षेत्रफल हेक्टेयर में=0.169+0.034=							0.203	

[फा. सं. CAO/Con/RSP/ ROB/MLDT]

प्रवीन खुराना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Eastern Railway (Construction Department)]
(ROAD SAFETY PROJECT)
CORRIGENDUM

Kolkata, the 3rd September, 2026

S.O. 4997(E).—In modification of 20A Gazette Notification No. 387 dated 29.01.2026 following 11 left out plots under Mouza- Kakrotiya and 03 left out plots under Mouza- Rangamati to be added.

In exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief particulars of which are given in the Schedule below, is required in village Kakrotiya and Rangmatia, Taluka Sahebganj + Mandro, District Sahebganj of the State of Jharkhand, for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely **“Construction of ROB in lieu of LC Gate No. – 82/B/T (KM 231/9-232/0) near West cabin of Sahibganj station of Malda Division”**, hereby declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority, namely the Circle Officer, Kakrotiya + Rangmatia, Taluka Sahebganj Sadar & Mandro, and the Circle Officer, District Sahebganj, Jharkhand, stating the grounds thereof. The Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, may, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by interested persons at the office of the aforesaid Competent Authority.

SCHEDULE

Brief details of the land, with or without structures, proposed to be acquired for the Special Railway Project namely “**Construction of ROB in lieu of LC Gate No. – 82/B/T (KM 231/9-232/0) near West cabin of Sahibganj station of Malda Division**” in the District of Sahibganj in the State of Jharkhand.

Sl. No.	Name of Mouza	Khata No.	Dag No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be Acquired (Hectare)	Area to be Acquired (Acre)	Portion of Plot Affected
1	kakrotiya	175	541	Residential	Khas Mahal	0.003	0.0080	Part
2	kakrotiya	—	690	Residential	Khas Mahal	0.003	0.0080	Part
3	kakrotiya	—	682	Residential	Khas Mahal	0.008	0.0204	Part
4	kakrotiya	—	529	Residential	Khas Mahal	0.003	0.0090	Part
5	kakrotiya	—	651	Road	Khas Mahal	0.008	0.0213	Part
6	kakrotiya	—	547	Road	Khas Mahal	0.005	0.0137	Part
7	kakrotiya	452	567	Road	Khas Mahal	0.012	0.0307	Part
8	kakrotiya	—	488	Road	Khas Mahal	0.017	0.0431	Part
9	kakrotiya	—	538	Road	Khas Mahal	0.071	0.1765	Part
10	kakrotiya	—	537	Railway	Khas Mahal	0.014	0.0347	Part
11	kakrotiya	—	536	Railway	Khas Mahal	0.025	0.0619	Part
Total =						0.169	0.427	
Sl. No.	Name of Mouza	Khata No.	Dag No.	Type of Land	Nature of Land	Area (Hectare)	Area (Acre)	Portion
1	Rangamati	—	86	Road	Road	0.013	0.033	Part
2	Rangamati	—	53	Road	Road	0.008	0.021	Part
3	Rangamati	—	89	Road	Road	0.013	0.034	Part
Total =						0.034	0.088	
Total Area to be Acquired in Acres=0.427+0.088=							0.515	
Total Area to be Acquired in Hectares=0.169+0.034=							0.203	

[F. No. CAO/Con/RSP/ROB/MLDT]

PRAVEEN KHORANA, Chief Administrative Officer/Con.